# कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांकः** शिविरा/माध्य/म.गाँ.प्रकोष्ठ/66174/वॉक इन इन्टरव्यू/2024–25/(E-File 22810) **दिनांकः As in E-sign**

## विज्ञप्ति

राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 के प्रावधानानुसार **राज्य में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु {महात्मा गाँधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय, स्वामी विवेकानन्द राजकीय आदर्श विद्यालय (एसवीजीएमएस) और समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय}** रिक्त निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग के पदधारी शिक्षकों/कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :–

| क्र.सं. | पदनाम व विषय | क्र.सं. | पदनाम व विषय |
|---|---|---|---|
| 1 | प्राचार्य | 7 | अध्यापक, लेवल–2 (विभिन्न विषय) |
| 2 | प्राध्यापक (विभिन्न विषय) | 8 | अध्यापक, लेवल–1 |
| 3 | वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) | 9 | शारीरिक शिक्षा अध्यापक |
| 4 | वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक | 10 | कम्प्यूटर शिक्षक/वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक/बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक* |
| 5 | पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–II | 11 | पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III |
| 6 | वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक | 12 | प्रयोगशाला सहायक |

*** जिन विद्यालयों में वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक/कनिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत हैं, उन विद्यालयों में वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक/कनिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक को तथा शेष विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक के पद पर अध्यापक, लेवल–प्रथम/अध्यापक, लेवल–द्वितीय के शिक्षकों को लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनोपरान्त लगाया जायेगा।**

**आवेदन की शर्तें व दिशा–निर्देश :–**

1. आवेदन पत्र **दिनांकः 15.07.2024 से 22.07.2024 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक** शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाईन भरे जाऐंगे।
2. संबंधित पद व विषय के आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अन्य विवरण भरे जाने के साथ–साथ, पदस्थापन हेतु निम्नानुसार जिले भरे जाने का विकल्प रखा गया है :–

| क्र. सं. | पदनाम व विषय | पदस्थापन हेतु जिले भरे जाने का विकल्प |
|---|---|---|
| 1 | प्राचार्य/प्राध्यापक (विभिन्न विषय) | **समस्त 50 जिले** (न्यूनतम एक जिला व अधिकतम 50 जिले) |
| 2 | वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)/वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक/पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–II/वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक /वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक | **केवल एक मण्डल के समस्त जिले** (न्यूनतम एक जिला व अधिकतम संबंधित मण्डल के समस्त जिले) |
| 3 | अध्यापक, लेवल–2 (विभिन्न विषय)/अध्यापक, लेवल–1/शारीरिक शिक्षा अध्यापक/कम्प्यूटर शिक्षक/ बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक/पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III/ प्रयोगशाला सहायक | **अधिकतम पांच जिले** |

3. ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पदस्थापन हेतु किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है, उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

RajKaj Ref
8725380

4. **अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों (स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय सहित) में पदस्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रियाओं से चयनोपरान्त पदस्थापित शिक्षक/कार्मिक उक्तानुसार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।**
5. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु पूर्व में किये गये आवेदन इस प्रक्रिया हेतु मान्य नहीं किये जायेंगे।
6. आवेदन करने हेतु विभाग के पदधारी शिक्षक/कार्मिक (वर्तमान में माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा में ही कार्यरत) ही पात्र होंगे। अन्य विभाग/परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक/कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
7. शिक्षक/कार्मिक द्वारा आवेदन अपने मूल पद व विषय के अनुसार ही किया जावें।
8. **राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त** अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों/कार्मिकों के द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र हेतु तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों/कार्मिकों के द्वारा केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु ही आवेदन किया जा सकेगा।
9. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के लिए विभाग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, उक्त लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी तथा कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिये जाने पर, उस जिले में चयन/पदस्थापन हेतु 10 अतिरिक्त बोनस अंक देय होंगे।
10. आवेदक विभाग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित मानदण्डानुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने पर ही चयन हेतु पात्र होगा। किन्तु लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेने मात्र से कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन/पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होंगे। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार चयन/पदस्थापन किया जायेगा।
11. चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद व विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम के उसी रिक्त पद पर किया जाएगा।
12. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु अन्तिम रूप से चयन उक्त नियम, 2023 के प्रावधानों में उल्लिखित राज्य/मण्डल/जिला स्तर की सक्षम चयन समिति के द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा।
13. **चयनित कार्मिकों का विद्यालयों में पदस्थापन Online काउंसलिंग प्रक्रिया से किया जाएगा।**
14. **विद्यालयवार व पदवार रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाएगी।**

**चयन प्रक्रिया :–**

राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 के नियम–10 व नियम–11 में प्रदत्त शक्तियों के तहत आवेदित शिक्षकों/कार्मिकों के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु चयन किये जाने एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। **लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना का विवरण निम्नानुसार हैं :–**

**समस्त पदों के लिए :–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **अधिकतम अंक** | :– 100 अंक | **परीक्षा की अवधि** | :– 90 मिनट |
| **न्यूनतम उत्तीर्णांक** | :– 40 अंक | **प्रश्नों की संख्या** | :– 100 |

**नोट :–** 1. समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।
2. प्रत्येक गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर के ¼ अंक काटे जाऐंगे।

**परीक्षा केन्द्र** :–आवेदक कार्मिक की परीक्षा उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से संबंधित जिले में निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ली जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से दे दी जाएगी।

RajKaj Ref
8725380

**<u>पाठ्यक्रम</u>** :– **1. प्राचार्य पद हेतु :–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **i.** | अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न (माध्यमिक स्तर) | – | 70 प्रश्न |
| **ii.** | नेतृत्व एवं प्रशासन | – | 15 प्रश्न |
| **iii.** | विभागीय योजनाऐं | – | 15 प्रश्न |

**2. शेष समस्त पदों हेतु :–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **i.** | अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न (माध्यमिक स्तर) | – | 80 प्रश्न |
| **ii.** | विभागीय योजनाऐं | – | 20 प्रश्न |

**<u>अन्य निर्देश</u>** :–

1. परीक्षा की सम्भावित तिथि से पृथक से अवगत करवाया जाएगा।.
2. परीक्षा केन्द्र तक आने जाने हेतु आवेदनकर्ता कार्मिक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता या अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
3. लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेने मात्र से कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होंगे। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता एवं कार्मिकों की आवश्यकतानुसार पदस्थापन किया जायेगा।

**<u>सेवा की अन्य शर्तें</u>** :–

1. **आवेदित पदों पर चयन के पश्चात् कार्मिक को तीन वर्ष की कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा,** जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्विलोकन (Review) पश्चात् निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट (Specified) प्रक्रिया द्वारा बढ़ायी जाने योग्य होगी। नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को, पूर्वतर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी सेवावधि के पूर्ण होने से पूर्व, बिना कोई कारण दिये, निर्मुक्त (Relieve) करने का अधिकार होगा।
2. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् पदस्थापित किये गये समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्विलोकन, निदेशक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
3. जैसे ही, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है, उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित समझा जायेगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हताएं रखने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्तियों और अत्यावश्यकता के अनुसार पदस्थापन पर प्रतिधारण (Retention) का विनिश्चय कर सकेगा।
4. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित कार्मिक को उसके पद/विषय के अनुसार सम्पूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित/स्थानान्तरित किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता, पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी।
5. ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिसकी वरिष्ठता वहां अन्य रेंज/जिले के अधिकार क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् भी रेंज/जिला स्तर पर ही बनी हुई है सम्बन्धित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज/जिले में संरक्षित की जायेगी और वे अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज/जिले में धारणधिकार का हकदार होंगे।
6. ऐसे पदों के मामले में जहां वरिष्ठता रेंज/जिला स्तर पर संधारित है और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी/परिवीक्षाधीन व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् अन्य रेंज/जिले में

RajKaj Ref
8725380

पदस्थापित हैं वहां परिवीक्षाकाल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात् स्थायीकरण, उस मूल रेंज/जिले, जहां अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है, के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा किया जायेगा। ऐसे कार्मिकों को हिन्दी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन के उपरान्त पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा।

7. राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम, 2010 के पदधारी नगरीय/निगम क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे।
8. काउंसलिंग के समय आवेदनकर्त्ता कार्मिक को निम्नानुसार लिखित सहमति देनी होगी :–

**सहमति पत्र**

मेरे द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 का अवलोकन कर लिया है, यदि मेरा चयन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति हेतु कर लिया जाता है तो मैं **"आवेदन की शर्तें व दिशा–निर्देश"** एवं **"सेवा की अन्य शर्तें"** मानने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

**(आशीष मोदी)**
**IAS**
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

**1-** विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
**2-** निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
**3-** निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
**4-** निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायतीराज (प्राशि) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
**5-** शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
**6-** वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), शिक्षा संकुल, जयपुर।
**7-** पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं, राजस्थान, बीकानेर।
**8-** संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), कार्यालय हाजा।
**9-** **समस्त** संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), माशि. व प्राशि/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी /पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान।
**10-** उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
**11-** सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
**12-** सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
**13-** रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(महात्मा गांधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
8725380

Document certified by ASHISH MODI
<ashishmodi.kgp@gmail.com>.
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :11-07-2024 03:17:32